जनपद-संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनांक 19.08.2025

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी के 02 अदद डीजे मशीन सिस्टम, 01 अदद मिक्सर मशीन, 01 अदद वजन काँटा, 01 अदद एक्साइड बैटरी, 01 अदद ट्रैक्टर साउण्ड, 02 अदद फोकस लाइट के साथ वाँछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण हेतु थानाध्यक्ष बेलहरकला ***श्री श्याम मोहन*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 108/2025 धारा 331(3)/305/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तगण क्रमशः 01. रवि पुत्र राजमंगल 02.गणेश पुत्र रंगीलाल निवासीगण देवरिया पोस्ट भिटिया थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को चोरी के **02 अदद डीजे मशीन सिस्टम, 01 अदद मिक्सर मशीन, 01 अदद वजन काँटा, 01 अदद एक्साइड बैटरी, 01 अदद ट्रैक्टर साउण्ड, 02 अदद फोकस लाइट** के साथ माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***वादी राकेश गुप्ता पुत्र रामअछैबर गुप्ता निवासी करिया सिंह दुधारा थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा दिनांक 18.08.2025 को थाना बेलहरकला पर तहरीर दिया गया कि उनके दुकान से 02 अदद डीजे मशीन सिस्टम, 01 अदद मिक्सर मशीन, 01 अदद वजन काँटा, 01 अदद एक्साइड बैटरी, 01 अदद ट्रैक्टर साउण्ड, 02 अदद फोकस लाइट गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा चोरी कर लिया गया है। उक्त तहरीर के आधार पर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 108/2025 धारा 331(3)/305/317(2) बीएनएस अभियोग पंजीकृत किया गया* ।**

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

01. रवि पुत्र राजमंगल निवासी देवरिया पोस्ट भिटिया थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर **।**

02.गणेश पुत्र रंगीलाल निवासी देवरिया पोस्ट भिटिया थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर **।**

***बरामदगी का विवरण –* 02 अदद डीजे मशीन सिस्टम, 01 अदद मिक्सर मशीन, 01 अदद वजन काँटा, 01 अदद एक्साइड बैटरी, 01 अदद ट्रैक्टर साउण्ड, 02 अदद फोकस लाइट** ।

गिरफ्तारी टीम- उ0नि श्री अनुज कुमार यादव, उ0नि0 श्री सुरेन्द्र प्रसाद।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 10 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 342 वाहनों से 5,36,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 19.08.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 342 वाहनों से 5,36,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप हत्या के मामले में अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 50,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 19.08.2025 को ***माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद संतकबीरनगर*** के द्वारा 01 अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 50,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 25/2019 धारा 302,504 भा0द0वि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त आदर्श पुत्र काशीराम निवासी बनहैता थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 302 भा0द0वि0 के अपराध हेतु सश्रम आजीवन कारावास व 50,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 03 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।